शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर

धरमपुरा–2, जगदलपुर, जिला–बस्तर, छत्तीसगढ़, भारत पिनकोड 494001

Shaheed Mahendra Karma Vishwavidyalaya, Bastar

Dharampura-2, Jagdalpur, Distt.-Bastar, Chhattisgarh, India, Pincode 494001

TelePhone 07782-229037, Fax 07782-229037, Website: www.bvvjdp.ac.in

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्यवरान निबोधत

क्रमांक /**985**/अका./कार्यपरिषद/2022 जगदलपुर, दिनांक 21/11/2022

कार्यवृत्त
कार्यपरिषद की 43वीं बैठक
दिनांक 03.11.2022

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर जगदलपुर के कार्यपरिषद की 43वीं बैठक दिनांक 03.11.2022 को अपरान्ह 12.00 बजे विश्वविद्यालय के सभाकक्ष में आहूत की गई। उक्त बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए तथा शेष निम्नलिखित सदस्य विडियो कॉन्फ्रेसिंग (Google Meet App) के माध्यम से बैठक में सम्मिलित हुए :–

बैठक में उपस्थित सदस्य

1. प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव, कुलपति	पदेन अध्यक्ष
2. श्री अरविंद नेताम, पूर्व केन्द्रीय मंत्री, भारत सरकार,	सदस्य
3. श्री कमलाकर सिंह, पूर्व कुलपति,	सदस्य
4. डॉ. चेतन राम पटेल, प्राचार्य,	सदस्य
5. डॉ. टी.आर. रात्रे, प्राचार्य,	सदस्य
6. श्री धीरज नशीने, संभागीय संयुक्त संचालक,	पदेन सदस्य
7. श्री ईश्वर प्रसाद तिवारी, संकायाध्यक्ष, शिक्षा एवं विधि संकाय	सदस्य
8. डॉ. विनोद कुमार पाठक, कुलसचिव	पदेन सचिव

गूगल मीट के माध्यम से सम्मिलित सदस्य

9. श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग	सदस्य
10.डॉ. ए.के.दीक्षित, प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) एवं संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान एवं कला संकाय,	सदस्य
11.डॉ. सरला आत्राम, प्राचार्य,	सदस्य
12.श्री राजेश चौहान, क्रिकेटर,	सदस्य
13.पद्मश्री अनूप रंजन पाण्डेय,	सदस्य
14.डॉ. आर.के. हिरकने, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य एवं प्रबंध सूचना प्रौद्योगिकी संकाय, प्राध्यापक (वाणिज्य)	सदस्य
15.डॉ. के. इंदिरा संकायाध्यक्ष, विज्ञान एवं जीव विज्ञान संकाय, प्राध्यापक (रसायन शास्त्र)	सदस्य

बैठक की कार्यवाही प्रारंभ होने से पहले पूर्व कार्यपरिषद सदस्य श्री मनोज सिंह मंडावी, माननीय विधायक, भानुप्रतापपुर विधानसभा को श्रद्धांजली अर्पित की गई तथा दो मिनट का मौन रख कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। तद्पश्चात् माननीय कुलपति महोदय जी ने समस्त माननीय कार्यपरिषद सदस्यों का स्वागत एवं अभिवादन किया। माननीय कुलपति महोदय के पदस्थापना के पश्चात आयोजित प्रथम बैठक में उपस्थित कार्यपरिषद के सभी सदस्यों ने कुलपति महोदय का स्वागत करते हुए अपना परिचय दिया एवं माननीय कुलपति महोदय द्वारा सभी सदस्यों को आश्वस्त किया कि विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, बस्तर क्षेत्र/संभाग में रहने वाले आदिवासियों, अन्य वंचित वर्ग एवं सभी वर्गों को उच्च शिक्षा, व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा प्रदान करने की दिशा में तथा विश्वविद्यालय के प्रत्येक आयाम के विस्तार एवं विकास के लिए हमेशा समर्पित रहूँगा। तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

विषय क्रमांक (वि.क्र.)–1 (विश्वविद्यालय के अकादमिक विभाग का प्रस्ताव)

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की 42वीं बैठक दिनांक 27.08.2022 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि पर विचार।

निर्णयः कार्यपरिषद की 42वीं बैठक दिनांक 27.08.2022 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान की गई।

वि.क्र.–2 (विश्वविद्यालय के अकादमिक विभाग का प्रस्ताव)

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की 42वीं बैठक दिनांक 27.08.2022 के कार्यवृत्त के पालन प्रतिवेदन पर विचार।

निर्णयः यह निर्णय लिया गया कि –

- संदर्भित कार्यवृत्त के अनुपालन में कार्यपरिषद के किसी भी माननीय सदस्य के द्वारा आपत्ति किये जाने की स्थिति में वे माननीय कुलपति जी को आपत्ति से अवगत करायें। तदानुसार आवश्यक सुधार के पश्चात कार्यवृत्त–पालन–प्रतिवेदन कार्यपरिषद की आगामी बैठक में सम्पुष्टि हेतु पुनः प्रेषित किया जाये।
- कार्यपरिषद की आगामी बैठक ऑफ–लाईन मोड में अथवा ऑन–लाईन मोड में आवश्यकतानुसार आयोजित करायी जाये। बैठक हाईब्रिड मोड में आयोजित नहीं कराई जाये। विश्वविद्यालय वर्चुअल बैठक आहूत करने संबंधी विडियो कान्फ्रेसिंग टेक्नोलॉजी एवं उपकरण आदि को क्रय कर स्थापित करने की प्रक्रिया को पूर्ण कर ले।
- यह सुनिश्चित किया जाये कि कार्यपरिषद बैठक की कार्यसूची माननीय सदस्यों को 15 दिन पूर्व पहुँच जाये। कार्यसूची की हार्डकापी को भेजने के साथ–साथ माननीय सदस्यों को ई–मेल एवं व्हाटसअप पर भी भेजा जाये। कार्यसूची को मेल एवं व्हाटसअप पर भेजे जाने की सूचना माननीय सदस्यों के दूरभाष पर प्रदान की जावे।
- प्रकाशित समाचारों की जॉच कराने हेतु गठित समिति के अध्यक्ष श्री रेखचंद जैन, पूर्व कार्यपरिषद सदस्य के स्थान पर श्री अरविन्द नेताम, कार्यपरिषद सदस्य को अध्यक्ष एवं श्री चंदन कश्यप, पूर्व कार्यपरिषद सदस्य के स्थान पर श्री कमलाकर सिंह, कार्यपरिषद सदस्य को सदस्य रखे जाने का निर्णय लिया गया।

वि.क्र.–3 (विश्वविद्यालय के अकादमिक विभाग का प्रस्ताव)

दिनांक 02.11.2022 को आयोजित विद्यापरिषद स्थायी समिति की बैठक में विचार हेतु रखे गये प्रस्ताव एवं विषयों पर लिए जाने वाले निर्णयों का अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

वि.क्र.– 4 (विश्वविद्यालय के परीक्षा/गोपनीय विभाग का प्रस्ताव)

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 37 की उपधारा (VI) के द्वारा निर्मित अध्यादेश क्रमांक 5 की धारा 20 की उपधारा (vi) के प्रावधान के अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2022–23 के विभिन्न परीक्षाओं के आने वाले नकल प्रकरण का निराकरण करने हेतु UFM कमेटी का गठन करने संबंधी प्रकरण पर विचार।

निर्णयः कार्यपरिषद का एक सदस्य के रूप में डॉ. टी.आर. रात्रे, प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय तोकापाल को अध्यक्ष नियुक्त किया गया तथा शेष सदस्यों के नामांकन हेतु कुलपति को अधिकृत किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय पारित किया गया।

वि.क्र.–5 (विश्वविद्यालय के विकास विभाग का प्रस्ताव)

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर के अन्तर्गत होने वाले विभिन्न भवन निर्माण संबंधी कार्यों की सतत निगरानी तथा कार्यों में उत्कृष्ठता हेतु Additional Statute No. -3 (1) (5) Two members nominated by the Executive Council not nesessary from amongst themselves. के अनुसार भवन समिति के दो सदस्य नामित करने संबंधी प्रकरण पर विचार।

निर्णयः भवन निर्माण संबंधी कार्यों की सतत् निगरानी तथा कार्यों में उत्कृष्ठता हेतु (1) डॉ. अशोक दुबे, प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जगदलपुर (2) डॉ. शरद नेमा, प्राध्यापक, वानिकी एवं वन्यजीव अध्ययनशाला, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय को नामित किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय पारित किया गया।

वि.क्र.– 6 एवं पूरक एजेण्डा विषय क्रमांक–8 (विश्वविद्यालय के परीक्षा/गोपनीय विभाग का प्रस्ताव)

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में संचालित पी–एच.डी. पाठ्यक्रम के अंतर्गत शोधार्थी श्री सियालाल नाग, राजनीति विज्ञान, सामाजिक विज्ञान संकाय, शोधार्थी श्रीमती शारदा देवांगन, मानवविज्ञान एवं जनजातीय अध्ययन, जीवविज्ञान संकाय एवं शोधार्थी श्रीमती इन्द्रो टेकाम, हिन्दी, कला संकाय को पी–एच.डी. उपाधि प्रदान करने पर विचार।

निर्णयः (1) शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर के शोधार्थियों –

क्रम संख्या	शोधार्थी का नाम/ नामांकन क्रमांक	शोधनिर्देशक का नाम	शोध का शीर्षक	विभाग/विषय	संकाय	पी–एच.डी. मौखिकी परीक्षा की तिथि
1	श्री सियालाल नाग BVV/POLI/14/1721	डॉ. लक्ष्मी लेकाम, सहायक प्राध्यापक	"बस्तर जिले में मद्यपान की समस्या के विशेष संदर्भ में महिला उत्पीड़न एवं मानवाधिकारों का अध्ययन"	राजनीति विज्ञान	सामाजिक विज्ञान	23.09.2022
2	श्रीमती शारदा देवांगन BVV/ANTH/14/1703	डॉ. आनंद मूर्ति मिश्रा, सहायक प्राध्यापक	"Assesment of Growth and Nutritional Status: The Comparative Study in Two Tribal Groups of Bastar, Chhattisgarh"	मानवविज्ञान एवं जनजातीय अध्ययन	जीवविज्ञान	07.10.2022
3	श्रीमती इन्द्रो टेकाम BVV/HIND/14/1735	डॉ. योगेन्द्र मोतीवाला, सहायक प्राध्यापक	धुरवा जनजाति के धुरवी बोली के दैनिक व्यवहार में प्रयुक्त शब्दों का संकलन एवं अध्ययन, बस्तर संभाग के विशेष संदर्भ में	हिन्दी	कला	31.10.2022

को मौखिक परीक्षा में पी–एच.डी. उपाधि प्रदान किये जाने की संस्तुति के आधार पर संबंधित विषय एवं संकाय में मौखिकी परीक्षा की तिथि से पी–एच.डी. उपाधि प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

(2) यह भी निर्णय लिया गया भविष्य में मौखिकी परीक्षा में बाह्य परीक्षक द्वारा की अनुशंसा के आधार पर मौखिक परीक्षा की तिथि से पी–एच.डी. उपाधि प्रदान किये जाने की घोषणा कर दी जाये तथा इस आशय की अधिसूचना भी जारी कर दी जाये। इसके पश्चात् कृत कार्यवाही से माननीय कार्यपरिषद के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाये।

(3) उपाधि–अधिसूचना–प्रारूप की सूचना सह कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विद्यापरिषद/विद्यापरिषद की स्थायी समिति में रखा जाये।

वि.क्र.–7 (विश्वविद्यालय के स्थापना/प्रशासन विभाग का प्रस्ताव)

पूर्व कुलपति प्रोफेसर (डॉ.) एन.डी.आर. चंद्रा, स्मृति नगर, दुर्ग का अंतिम वेतन पत्रक अनुसार भुगतान की राशि रूपये 1,37,693/– तथा वसूली योग्य राशि रूपये 2,94,230/–पर विचार।

निर्णयः (1) पूर्व कुलपति, डॉ. एन.डी.आर. चन्द्रा को उनके बकाया वेतन एवं अन्य स्वत्व का भुगतान कर दिया जाये।

(2) डॉ. चन्द्रा पर देनदारी निश्चित करने हेतु समिति का निम्नवत गठन किया गया :–

(i) श्री अरविन्द नेताम, कार्यपरिषद सदस्य	अध्यक्ष
(ii) श्री धीरज नशीने, संभागीय संयुक्त संचालक	सदस्य
(iii) कुलसचिव	सदस्य
(iv) वित्त अधिकारी	सदस्य
(v) सहायक कुलसचिव (प्रशासन)	प्रस्तुतकर्ता सदस्य

(3) डॉ. चन्द्रा के ऊपर निश्चित देनदारी को उनके संशोधित एल.पी.सी. में उल्लेख करते हुए उनके मूल विभाग, नागालैण्ड विश्वविद्यालय को इस आशय का पत्र प्रेषित किया जाये कि मातृ संस्था उक्त धन राशि को डॉ. चन्द्रा से प्राप्त कर विश्वविद्यालय कोष में जमा करा दे।

(4) उपरोक्त के संबंध में समस्त कार्यवाही 07 दिवस के भीतर पूर्ण करा ली जाये।

वि.क्र.–8 (विश्वविद्यालय के स्थापना/प्रशासन विभाग का प्रस्ताव)

विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा गॉर्ड तैनाती के देयक माह जून–2022, जुलाई–2022 एवं अगस्त–2022 के देयक भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार।

निर्णयः शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में सुरक्षा व्यवस्था हेतु कार्यादेश क्रमांक/2189/भण्डार/श.म.क.वि.वि./2021–22 जगदलपुर, दिनांक 29/10/2021 के अनुसार संचालक, बस्तर सिक्यूरिटी गॉर्ड इंटेलिजेंट सर्विस, महारानी अस्पताल रोड़, जगदलपुर, जिला–बस्तर (छ.ग.) द्वारा क्रमशः जून माह का प्राप्त देयक क्रमांक BIG-SS/JDP/08/ जगदलपुर, दिनांक 25.07.2022 कुल देयक राशि रूपये 324419.00 (तीन लाख चौबीस हजार चार सौ उन्नीस रूपये मात्र), जुलाई माह का देयक बिल नं. 1053 दिनांक 31.07.2022 क्रमांक BIG-SS/JDP/09 जगदलपुर, कुल देयक राशि रूपये 376326.00 एवं अगस्त, 2022 का देयक बिल नं. 1066 दिनांक 31.08.2022 क्रमांक BIG-SS/JDP/10 जगदलपुर, कुल देयक राशि रूपये 376326.00 के देयक के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

वि.क्र.–9 (विश्वविद्यालय के स्थापना/प्रशासन विभाग का प्रस्ताव)

विश्वविद्यालय में कार्यरत सुरक्षा एजेंसी बस्तर सिक्यूरिटी गॉर्ड इंटेलिजेंट सर्विस, महारानी अस्पताल रोड़, जगदलपुर के साथ हुए अनुबंध में वृद्धि पर विचार।

निर्णयः उपरोक्त प्रकरण के संबंध में विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि तीन माह के भीतर टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण कर लिया जाये तब तक के लिए वर्तमान सुरक्षा एजेन्सी बस्तर सिक्यूरिटी गॉर्ड इंटेलिजेंट सर्विस, महारानी अस्पताल रोड़, जगदलपुर का कार्य अवधि पूर्व स्वीकृत दर अनुसार ही तीन माह अथवा टेडर की प्रक्रिया के द्वारा चयनित सुरक्षा एजेन्सी को निर्गत कार्यादेश के आधार पर कार्यभार ग्रहण की तिथि, जो भी पहले हो, तक के लिए बढ़ा दिया जाये।

वि.क्र.–10 (विश्वविद्यालय के स्थापना/प्रशासन विभाग का प्रस्ताव)

डॉ. सोहन कुमार मिश्र, सहायक प्राध्यापक (संविदा), शिक्षा अध्ययनशाला के संविदा सेवा अवधि का नवीनीकरण का अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः शिक्षा अध्ययन शाला में संविदा पर कार्यरत शिक्षक डॉ. सोहन कुमार मिश्र को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के नियम – 11 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत तथा कार्यपरिषद के निर्णयों क्रमशः 1. संकल्प संख्या 6, दिनांक 05.08.2022 एवं 2. संकल्प संख्या 1 दिनांक 27.08.2022 के आलोक में पूर्व निर्णयों के समानता के आधार का लाभ देते हुए संविदा कार्यकाल को अगले एक वर्ष अर्थात 20.09.2022 से 19.09.2023 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया।

वि.क्र.–11 (विश्वविद्यालय के स्थापना/प्रशासन विभाग का प्रस्ताव)

विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों को वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 अनुसार दिनांक 01.10.2022 से महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दर दिये जाने संबंधी प्रकरण पर विचार।

निर्णयः छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के आदेशक्र. 709/एफ 2013–04–00416/वि/नि/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14.10.2022 वित्त निर्देश 28/2022 के अनुसार वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 536/एफ 2013–04–00416/वि/नि/चार, दिनांक 16.08.2022 के द्वारा राज्य शासन के शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में अनुमन्य वृद्धि –

वेतनमान	अवधि जब से देय	महंगाई भत्ते में वृद्धि का प्रतिशत	वृद्धि उपरांत महंगाई भत्ते की दर
सातवॉ वेतनमान	दिनांक 01.10.2022	5%	33%
छठवॉ वेतनमान	दिनांक 01.10.2022	12%	201%

को विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि किये जाने हेतु निम्न शर्तों, प्रावधनों एवं परन्तुक के साथ अंगीकृत कर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया :–

1. बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि का दिनांक 01 अक्टूबर 2022 से नगद भुगतान किया जाएगा।
2. महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के आधार पर की जावेगी। इसमें विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा।
3. महंगाई भत्ते का कोई भी भाग मूलभूत नियम 9(21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जायेगा।
4. महंगाई भत्ते के कारण किये जाने वाले भुगतान में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हों तो,उन्हें अगले उच्चतर रूपयों में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
5. ये आदेश यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. तथा कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे।
6. इन आदेशों के अंतर्गत देय महंगाई भत्ते का भुगतान विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो।

अध्यक्ष की अनुमति से विषय क्रमांक–1

छत्तीसगढ़ राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 विश्वविद्यालय परिनियम, रेगुलेशन आदि को संशोधित स्वरूप में एकत्रित कर विश्वविद्यालय हैंडबुक (Hand Book) के स्वरूप में मुद्रण कर सभी संबंधितों को उपलब्ध कराने एवं वेबसाईट पर अपलोड करने पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से अनुमति प्रदान की गई।

पूरक कार्यसूची

पूरक कार्यसूची विषय क्रमांक– 1 (विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय का प्रस्ताव)

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर के अध्ययनशालाओं में कार्यरत नियमित, संविदा एवं अतिथि शिक्षकों को उनके पद में निहित कार्य के अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर सौंपे गये या सौपे जाने वाले विश्वविद्यालय से संबंधित अन्य आवश्यक कार्यों के निष्पादन किये जाने संबंधी प्रकरण पर विचार।

निर्णयः उपरोक्त प्रकरण पर विचारोपरांत सर्वसम्मति से निर्णय पारित किया गया कि विश्वविद्यालय में कार्यरत किसी भी अधिकारी, कर्मचारी, नियमित, संविदा अथवा अतिथि शिक्षक, को उसके मूल कार्यों के साथ–साथ विश्वविद्यालय एवं छात्रहित में उसके पद में निहित दायित्वों के अतिरिक्त अन्य दायित्व एवं कार्य आबंटित किया जाता है तो वह विशेष परिस्थितियों को छोड़कर सौंपे गये अतिरिक्त दायित्वों/कार्यों का निष्पादन करेगा तथा वह अधिकार स्वरूप कार्य के निष्पादन से मना नहीं करेगा। यदि कोई कर्मचारी/शिक्षक कार्य करने से मना करता है तो इसे अनुशासनहीनता मानते हुए प्रशासनिक आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

वि.क्र.–2 (विश्वविद्यालय के विकास विभाग का प्रस्ताव)

कुलपति निवास का रंगरोगण एवं मरम्मत कराये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन अनुसार कार्य कराये जाने संबंधी प्रकरण पर विचार।

निर्णयः माननीय कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 06.09.2022 को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात कुलपति कार्यालय द्वारा प्रचलित नस्ती के बिन्दु क्रमांक 02 के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु विश्वविद्यालय के संलग्न पत्र क्रमांक/138/विकास/2022 जगदलपुर, दिनांक 09.09.2022 के द्वारा कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) उत्तर बस्तर संभाग क्रमांक–1 जगदलपुर को पत्र प्रेषित किया गया था तथा उक्त पत्र के संबंध में कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) उत्तर बस्तर संभाग क्रमांक–1 जगदलपुर के संलग्न पत्र क्रमांक/5235/शिल्प/2021–22 जगदलपुर, दिनांक 20.02.2022 द्वारा कुलपति निवास के मरम्मत एवं अन्य कार्यों के लिए संलग्न प्राक्कलन :–

क्र.	प्राक्कलन विवरण	लागत
1	कुलपति निवास के रंगरोगन कार्य का विस्तृत प्राक्कलन	रू. 6.07 लाख
2	कुलपति निवास के फ्लोरिंग के मरम्मत कार्य का विस्तृत प्राक्कलन	रू. 9.94 लाख
3	कुलपति निवास के टायलेटो (6 नग) के मरम्मत कार्य का विस्तृत प्राक्कलन	रू. 5.61 लाख
	कुल राशि	**रू. 21.62 लाख**

भवन समिति से पारित कराने के उपरांत कार्यपरिषद के आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

वि.क्र.–3 (विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का प्रस्ताव)

विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्षों को अग्रदाय राशि (इम्प्रेस्ट मनी) स्वीकृत किये जाने पर विचार।

निर्णयः विभागाध्यक्षों को निम्न अग्रदाय राशि स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया :–

क्र.	शाखा का नाम	अग्रदाय राशि
1	कुलपति कार्यालय	15,000/–
2	कुलसचिव कार्यालय	10,000/–
3	भंडार शाखा	15,000/–
4	स्थापना शाखा	10,000/–
5.	प्रशासन शाखा	10,000/–
6	वित्त विभाग	10,000/–
7	गोपनीय विभाग	10,000/–
8	परीक्षा विभाग	10,000/–
9	वाहन प्रकोष्ट	10,000/–

10 अकादमिक / विकास विभाग 10,000/–

11. प्रत्येक अध्ययनशाला विभागाध्यक्ष 5,000/–

यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त राशि के प्रयोग में भण्डार क्रय नियम का पालन आवश्यक होगा।

वि.क्र.–4 (विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का प्रस्ताव)

छ.ग.शासन द्वारा अपने शासकीय सेवकों के लिए लागू चिकित्सा परिचर्या नियम 2013 को विश्वविद्यालय के नियमित अधिकारियों/ कर्मचारियों के चिकित्सा उपचार हेतु अंगीकृत किये जाने एवं चिकित्सा मद में राशि रू. 10,00,000/– (राशि दस लाख) का प्रावधान किये जाने पर विचार।

निर्णयः समन्वय समिति के पूर्व निर्णयों एवं छत्तीसगढ़ के अन्य राजकीय विश्वविद्यालयों में चिकित्सा उपचार व्यय प्रतिपूर्ति हेतु दी जाने वाली सुविधाओं का अध्ययन एवं इस संबंध में जानकारी एकत्रित करने एवं आवश्यकतानुसार बजट प्रावधान की अनुशंसा करने हेतु निम्नलिखित अधिकारियों की समिति का गठन किया गया :–

1. डॉ कमलाकर सिंह, कार्यपरिषद सदस्य
2. कुलसचिव, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर
3. संभागीय संयुक्त संचालक, छत्तीसगढ़ कोष लेखा एवं पेंशन, संभागीय कार्यालय जगदलपुर
4. वित्त अधिकारी, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर

उक्त समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं वित्त समिति की बैठक आयोजित कर बजट प्रावधान करते हुए कार्यपरिषद के आगामी बैठक में प्रकरण पुनः प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

वि.क्र.–5 (विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का प्रस्ताव)

(i) छत्तीसगढ़ के शासकीय सेवकों के लिए पूर्व में त्यौहार–अग्रिम राशि 8,000/– स्वीकृत की गई थी, जिसमें वृद्धि करते हुए राशि रू. 10,000/– किया गया है, (छ.ग.शासन, वित्त विभाग के पत्र क्रमांक 549/418/वित्त/नियम/चार/2022 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 18.08.2022) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा मांग किए जाने पर बजट आबंटन की समीक्षा की गई। पूर्व में त्यौहार–अग्रिम मद का बजट में प्रावधान नहीं किया गया था। त्यौहार–अग्रिम का भुगतान विविध व्यय मद से किया जाता था, कर्मचारियों की मांग एवं दीपावली के त्यौहार पर कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए कुल 17 नियमित कर्मचारियों को रू. 10 हजार प्रत्येक कर्मचारियों की दर से राशि 1.70 लाख त्यौहार–अग्रिम स्वीकृत की गई है, जिसकी कार्योत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत है।

(ii) इसके अतिरिक्त त्यौहार–अग्रिम एक पृथक मद होने के कारण इस मद में वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए राशि रू. 2.00 लाख तक के बजट को स्वीकृत करने पर विचार।

निर्णयः उपरोक्तानुसार त्यौहार अग्रिम का भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। वित्त समिति की बैठक आयोजित कर बजट प्रावधान करते हुए कार्यपरिषद के आगामी बैठक में प्रकरण पुनः प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

वि.क्र.–6 (विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का प्रस्ताव)

छ.ग.शासन के शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए छ.ग. शासन, वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 709/एफ 2013–04–00416/वि/नि/चार नवा रायपुर दिनांक 14.10.2022 द्वारा देय मंहगाई भत्ता 28 प्रतिशत में 5 प्रतिशत का वृद्धि करते हुए 33 प्रतिशत किया गया है, जिसका भुगतान माह अक्टूबर 2022 के वेतन से करने का आदेश जारी किया गया है। विश्वविद्यालय के अधिकारियों/ कर्मचारियों की मांग तथा उनके हित को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्त आदेश के अनुपालन में माह अक्टूबर 2022 के वेतन के साथ 5 प्रतिशत मंहगाई भत्ता का भुगतान किया गया है। भुगतान में कुल राशि का व्यय भार का वहन विश्वविद्यालय के परीक्षा मद से किया गया है। जिसकी प्रतिपूर्ति छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त आबंटन से की जावेगी। अतः 5 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता के भुगतान में किए गए व्यय राशि 1,84,207/– (रू एक लाख चौरासी हजार दो सौ सात मात्र) की कार्योत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

वि.क्र.–7 (विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का प्रस्ताव)

दीपावली त्यौहार के उपलक्ष्य में विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों, प्राध्यापकों, संविदा प्राध्यापकों, अतिथि प्राध्यापकों, एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों/मास्टर रोल कर्मियों को दीपावली त्यौहार से पूर्व राशि 49,65,915/– (रू उनचास लाख पैसठ हजार नौ सौ पंद्रह मात्र) को वेतन एवं मजदूरी भुगतान किया है, जिसकी कार्योत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव, माननीय कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत है।

क्र.	वेतन विवरण	भुगतान राशि (राशि रूपयों में)
1	अधिकारियों/प्राध्यापकों/कर्मचारियों का वेतन	36,84,140
2	संविदा शिक्षकों का वेतन	3,67,560
3	अतिथि शिक्षकों का वेतन	2,63,400
4	अतिथि शिक्षकों (Mass Communcation) का वेतन	61,360
5	दैनिक वेतन भोगी का मजदूरी	4,97,337
6	मस्टर रोल का मजदूरी	92,118
	कुल	**49,65,915**

निर्णयः सर्वसम्मति से कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

वि.क्र.–8 (विश्वविद्यालय के गोपनीय विभाग का प्रस्ताव)

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में संचालित पी–एच.डी. पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिन्दी (कला संकाय) के शोधार्थी श्रीमती इन्द्रो टेकाम को पी.एच–डी उपाधि की अधिसूचना जारी करने संबंधी प्रकरण पर विचार।

निर्णयः उक्त एजेण्डा विषय क्रमांक 6 के साथ समाहित किया गया है।

वि.क्र.–9 (विश्वविद्यालय के गोपनीय विभाग का प्रस्ताव)

पी–एच.डी. अधिसूचना के प्रारूप के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः पी–एच.डी. अधिसूचना के प्रारूप को सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। उपाधि अधिसूचना प्रारूप की सूचना सह कार्योत्तर स्वीकृति विद्यापरिषद/विद्यापरिषद की स्थायी समिति में रखा जाये।

वि.क्र.–10 (विश्वविद्यालय के ग्रंथालय का प्रस्ताव)

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर अध्ययनशालाओं में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु पुस्तकें, संदर्भ ग्रंथ आदि क्रय करने के लिए निविदा आमंत्रित करने संबंधी प्रकरण पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से निविदा जारी करने की अनुमति दी गई तथा विश्वविद्यालय में पुस्तकें, संदर्भ पुस्तके, जर्नल्स, डिजिटल लाइब्रेरी आदि के क्रय किये जाने हेतु ग्रंथालय समिति के अनुमोदन के पश्चात् कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

वि.क्र.–11 (विश्वविद्यालय के वाहन विभाग का प्रस्ताव)

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर के परीक्षा, गोपनीय, शैक्षणिक भ्रमण एवं अन्य कार्यालयीन कार्यों के सुचारू संचालन के लिए किराये का वाहन (सभी प्रकार का) लिए जाने हेतु निविदा आमंत्रित करने संबंधी प्रकरण पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से निविदा जारी करने की अनुमति दी गई तथा विश्वविद्यालय के केन्द्रीय क्रय समिति के माध्यम से नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

वि.क्र.–12 (विश्वविद्यालय के अकादमिक विभाग का प्रस्ताव)

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर के चतुर्थ दीक्षांत समरोह का आयोजन अकादमिक कैलेण्डर के अनुसार जनवरी–फरवरी, 2023 में किया जाना प्रस्तावित है। उक्त आयोजन से संबंधित आवश्यक कार्यों के सम्पादित करने के लिए आवश्यकतानुसार निविदाएँ आमंत्रित करने संबंधी प्रकरण पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से निविदा जारी करने की अनुमति दी गई तथा विश्वविद्यालय के केन्द्रीय क्रय समिति के माध्यम से नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

वि.क्र.–13 (विश्वविद्यालय के परीक्षा/गोपनीय विभाग का प्रस्ताव)

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर के आगामी परीक्षाओं के आयोजन के लिए अनुक्रमांक एवं कोडिंग/डिकोडिंग (Coding/ Decoding) युक्त उत्तरपुस्तिकाओं के मुद्रण हेतु निविदा जारी करने संबंधी प्रकरण पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से निविदा जारी करने की अनुमति दी गई तथा माननीय कुलपति जी को सम्पूर्ण प्रकरण में निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया। विश्वविद्यालय के केन्द्रीय क्रय समिति के माध्यम से नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

वि.क्र.–14 (विश्वविद्यालय के परीक्षा/गोपनीय विभाग का प्रस्ताव)

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में कार्यरत सहायक प्राध्यापकों एवं सहायक ग्रंथपाल का अकादमिक ग्रेड वेतन 8000 से अकादमिक ग्रेड वेतन 9000 (तृतीय स्तर से चतुर्थ स्तर) में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम–2018 के अंतर्गत कैरियर प्रोन्नति योजना के तहत में उन्नयन/प्रोन्नति संबंधी प्रकरण पर विचार।

निर्णयः सूचना ग्रहण की गई। निर्णय लिया गया कि कैरियर प्रोन्नति योजना के अन्तर्गत शिक्षकों की प्रोन्नति की कार्यवाही प्रारंभ की जाये।

वि.क्र.–15 (विश्वविद्यालय के प्रशासन विभाग का प्रस्ताव)

डॉ. स्वपन कुमार कोले, प्राध्यापक, मानवविज्ञान एवं जनजातीय अध्ययनशाला, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर के द्वारा दिनांक 03.11.2022 को प्रस्तुत संलग्न आवेदन पर चर्चा एवं उनके विरूद्ध विभागीय जॉच संबंधी प्रकरण पर विचार।

निर्णयः डॉ. स्वपन कुमार कोले, प्राध्यापक के विरूद्ध विभागीय जॉच की कार्यवाही एवं प्रगति की जानकारी एवं सूचना ग्रहण की गई। प्रकरण पर पुनः एक जॉच समिति गठित की जाए जो समस्त बिन्दुओं पर पुनः सूक्ष्म एवं समग्र जॉच करे जिससे प्रकरण पर प्रशासनिक एवं सैद्धांतिक निर्णय किया जा सके।

वि.क्र.—16 (विश्वविद्यालय के प्रशासन विभाग का प्रस्ताव)

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर के आदेश दिनांक 25.08.2022 एवं संशोधित आदेश दिनांक 02.09.2022 अनुसार संविदा सहायक प्राध्यापकों के नवीनीकरण पश्चात् बकाया वेतन भुगतान हेतु प्राप्त अभ्यावेदन दिनांक 21.09.2022 पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विभागाध्यक्ष के द्वारा प्रस्तुत की गई उपस्थिति के प्रमाणन एवं शिक्षकों के द्वारा सम्पादित कार्य आख्या के आधार पर ही संबंधित संविदा सहायक प्राध्यापकों के बकाया वेतन का भुगतान नियमानुसार किया जाये।

वि.क्र.—17 (विश्वविद्यालय के कुलसचिव कार्यालय का प्रस्ताव)

पूरक परीक्षा सितम्बर—अक्टूबर 2022 के प्रश्न पत्र प्रिंटिंग (सेट 174) के कुल देयक राशि रू. 15,76,964/— (पन्द्रह लाख छिहत्तर हजार नौ सौ चौसठ) का भुगतान की स्वीकृति पर विचार।

विभागीय टीपः

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर का पूरक परीक्षा 2022 के प्रश्न पत्र प्रिंटिंग (सेट 174) देयक बिल नं. GP/13/22-23, दिनांक 25 सितम्बर 2022, के गोपनीय सामग्री प्रिंटिंग, पेकिंग, विसिट, डिलवरी, गोपनीय एवं सेक्यूरिटी देयक राशि रू. 14,08,003.20/— IGST @ 12% - 1,68,960.38 कुल 15,76,964.00 (round off- 42) कुल देयक राशि 15,76,964.00 के भुगतान की स्वीकृति पर विचार।

निर्णयः भुगतान करने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।

[signature] 21/11/2022

कुलसचिव
शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर
जगदलपुर, जिला—बस्तर (छ.ग.)

Manoj Kr. Srivastava
21.11.2022

कुलपति
शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर
जगदलपुर, जिला—बस्तर (छ.ग.)